न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म.प्र.)

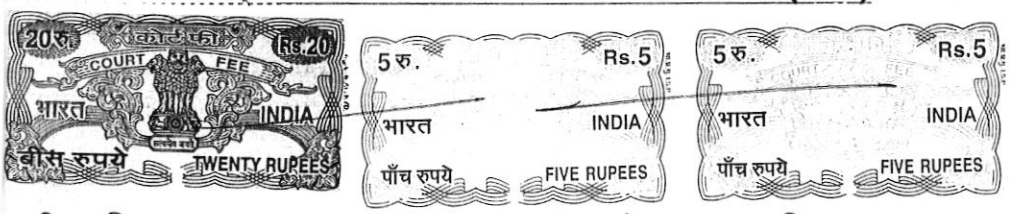

मुनीम पिता भागवत प्रसाद जैसवाल निवासी कामता चित्रकूट तह0 मझगवां जिला सतना म.प्र. ..... निगराकार

बनाम

1. रघुवरदास चेला स्व. श्री रामसजीवन दास निवासी परिकमापथ महल मंदिर कामता चित्रकूट तह0 मझगवां जिला सतना म.प्र.
2. राजस्व निरीक्षक चित्रकूट तह0 मझगवां ..... निगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तह0 मझगवां जिला सतना (म.प्र.) के रा.प्र.क. 24अ12/2015–16 आदेश दिनांक 29.09.2016 ।

मान्यवर,

निगराकार निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निम्नलिखित विनय करता है:–

निगरानी के तथ्य–

1. यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि गैर निगराकार द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत् श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर गैर निगराकार जो पैसा वाला व प्रभावशाली व्यक्ति है ने राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट व हल्का पटवारी कामता चित्रकूट को अपने प्रभाव में लेते हुए चोरी छिपे बिना सरहद्दी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये निगराकार के कब्जे दखलवाले भाग में गैर निगराकार की आराजी बताकर सीमांकन पुष्टि कर दी गयी चूंकि निगराकार मौके में नहीं था और न ही निगराकार को कोई सूचना ही दी गई और न ही वहां पर मौजा कामती की आराजी नं. 900 रकवा 0.032हे0 आता है राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अपने कार्यालय में बैठकर फर्जी सूचना पत्र फील्ड बुक स्थल पंचनामा नजरी नक्शा एवं प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 29.09.2016 को सीमांकन पुष्ट कर दिये हैं निगराकार को उक्त कथित सीमांकन पुष्ट होने की जानकारी तब मिली जब निगराकार के कब्जे दखल की आरजी नं. 894 जो वन विभाग की भूमि है। में गैर निगराकार कब्जा करने की धमकी दिया तथा गैर

क्रमशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5546–दो/2016 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मझगवॉ जिला सतना के प्रकरण कमांक 24 अ 12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–9–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो के तथ्यों एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मझगवां व्दारा मौजा कामता की आराजी कमांक 900 रकबा 0.032 हैक्टर का सीमांकन किया है एंव प्रकरण कमांक 8 अ 12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 10–5–15 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसके वि राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी एंव निगरानी प्रकरण कमांक 5207–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 2–3–16 से राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 10–5–15 निरस्त किया गया तथा प्रकरण सरहदी एंव समस्त हितबद्व पक्षकारों को सूचना एंव पक्ष समर्थन का अवसर देकर पुनः सीमांकन हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । 3/ राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश दिनांक 2–3–16 के पालन में राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मझगवॉ ने मेढ़िया कास्तकारों को सम्यक सूचना देकर उक्तांकि भूमि का दिनांक 29–9–16 को पुनः सीमांकन किया है तथा पक्षकारों के सुनकर आदेश दिनांक 29–9–2016 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसके कारण राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 29–9–16 में त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है। राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 29–9–16 से परिलक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 900 रकबा 0.032 हैक्टर के चारों ओर बन विभाग की भूमि है	

तथा परिकमा मार्ग (धार्मिक एंव सार्वजनिक हित का मार्ग) से घिरी भूमि है एंव 40x40 वर्ग कड़ी पर आवेदक का घर एंव दुकान निर्मित है परन्तु पटवारी अभिलेख में आवेदक के नाम पर अंकित नहीं है अपितु सीमांकन में 40X40 वर्ग कड़ी बन विभाग की भूमि पर घर बना होना पाया गया है। इसी भूमि पर आवेदक ने म0प्र0शासन एंव अनावेदक के विरूद्व मान.व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 चित्रकूट के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 1 ए/2017 दायर किया था एंव निषेधाज्ञा चाही थी। मान0 व्यवहार न्यायाधीश व्दारा आदेश दिनांक 23–8–17 के पद 11 में निम्नानुसार निर्णय दिया है :–

" जहां तक अपूर्तणीय क्षति का बिन्दु है चूँकि वादी के वाद का एक मात्र आधार विरोधी आधिपत्य है और उक्त आधार पर वादी के रूप में सबल होना प्रकट नहीं है और वादी के पास उसके विधिपूर्ण आधिपत्य को दर्शाने वाला दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में अस्थाई व्यादेश न दिये जाने पर उसे कोई क्षति होना संभाव्य नहीं है । "

सीमांकन आदेश दिनांक 29–9–16 से परिलक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 900 रकबा 0.032 हैक्टर के चारों ओर बन विभाग की भूमि है तथा परिकमा मार्ग (धार्मिक एंव सार्वजनिक हित का मार्ग) से घिरी भूमि है एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा सभी हितबद्वों व मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर विधिवत् पुर्नसीमांकन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कमवेशी नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मझगवॉ जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 24 अ 12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29–9–2016 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य